



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

फा. सं.- 16/65/2017-AdmnII-Part(1) ई-ऑ. सं. 191880

दिनांक: .../09/2026

कार्यालय-आदेश

विषय: ए.पी.ए.आर. (APAR) के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में।

प्रथम आई.सी.एम.आर. (ICMR) प्रशासनिक एवं वित्तीय समीक्षा बैठक दिनांक 21.08.2026 को आयोजित की गई थी। जिसमें ए.पी.ए.आर. (APAR) से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आई.सी.एम.आर. मुख्यालय (ICMR HQrs.) एवं आई.सी.एम.आर. मुख्यालय (ICMR HQrs.) के सभी संस्थानों/केंद्रों, को ए.पी.ए.आर. (APAR) के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

2. अतः आई.सी.एम.आर. मुख्यालय (ICMR HQrs.) के संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आई.सी.एम.आर. मुख्यालय (ICMR HQrs.) के सभी संस्थानों/केंद्रों को निर्देशित किया जाता है कि ए.पी.ए.आर. (APAR) की तैयारी, ऑनलाइन प्रविष्टि, प्रतिवेदन, समीक्षा, वितरण एवं स्वीकृति आदि से संबंधित सभी कार्यवाही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **अगले वर्ष से ए.पी.ए.आर. (APAR) 2026-2027 के लिए निर्धारित समय-सीमा में किसी भी प्रकार की छूट/शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी।**

3. सभी निदेशको/प्रभारी-निदेशको से अनुरोध है कि अपने-अपने संस्थानों/केंद्रों में उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(Handwritten Signature)

(जयबीर सिंह)

सहायक महा-निदेशक (प्रशासन)

सेवा में:-

1. आई.सी.एम.आर. (ICMR) के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/प्रभारी-निदेशक।

प्रतिलिपि:-

- परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक, (दोनों)/वरि. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
- सभी प्रभाग प्रमुख।
- उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहा. महानिदेशक, (दोनों)/ प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)/वरि. प्रशासन अधिकारी (स्थापना अनुभाग)/ प्रशासन अधिकारी (कार्मिक अनुभाग), परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली।
- डॉ एम. एस. चाल्गा, वैज्ञानिक 'ई' इसे परिषद की वेब-साइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।